

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26- अरेरा हिल्स, किसान भवन जेल रोड, भोपाल

कमांक/बी-6/नियमन/जनप्रतिनिधि/1984

भोपाल, दिनांक 01/06/2019

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक (समस्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय
.....
2. भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
.....

विषय:- जनप्रतिनिधियों को मंडी समितियों की गतिविधियों की जानकारी देने के संबंध में।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कृषक हितैषी अनेक योजनाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मंडी प्रांगण में कृषि उपज विक्रय करने वाले किसानों को रियायती दर पर भोजन, सर्वसुविधायुक्त कृषक विश्रामगृह में रुकने की व्यवस्था, कृषक विपणन पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी सहायता योजना लागू है। मंडियों द्वारा किसानों को प्रचलित बाजार भाव की एस.एम.एस. से मोबाईल पर जानकारी भेजी जा रही है, मंडियों और कृषि संबंधी अद्यतन शासकीय योजनाओं एवं नवीन व्यवस्थाओं के बारे में रेडियो कार्यक्रम "धरती उगले सोना" प्रतिदिन सांय 6.55 बजे सभी एफ.एम. रेडियों से प्रसारित किया जाता है। मंडी प्रांगण में किसानों को प्रवेश के अनुसार प्रथम आए प्रथम विक्रय, इलेक्ट्रानिक तौल, रुपये 2.00 लाख तक विक्रय दिनांक को नगद भुगतान, किसान की इच्छा अनुसार आर.टी.जी.एस. से पेमेंट की सुविधा इत्यादि अनेक नवाचार/योजनाएं प्रचलित हैं।

अतः उपरोक्त प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं के माननीय विधायकों/सत्तारूढ दल के पूर्व विधायक प्रत्याशियों को कृषि उपज मंडीसमितियों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं तथा जन सामान्य के लिये समय-समय पर किये जाने वाले आधुनिक व्यवस्थाओं के संबंध में व्यक्तिगत मिलकर नियमित रूप से जानकारियां प्रदान करना सुनिश्चित करा जाये।

अपर संचालक (नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 01/06/2019

कमांक/बी-6/नियमन/जनप्रतिनिधि/1985

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक (नियमन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल